संख्या–1476 / 33–3–2014–50 / 2011

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2–समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला स्वच्छता समिति, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक : 05 अगस्त, 2014

विषयः हाथ से मैला ढ़ोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वासन अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु राज्य / जनपद / ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1525 / क0नि0प्र0 / 26–3–12–7(1) / 2007 दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत Insanitary Latrines तथा उनके कार्यरत स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण / चिन्हिकरण तथा सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि सर्वेक्षण / चिन्हीकरण की नगर विकास विभाग तथा पंचायतीराज विभाग द्वारा जो सूची तैयार करायी जाय, उसे जनता को प्रकाशित कराया जाय।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को जलप्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है तथा शुष्क शौचालयों को समाप्त करते हुए उन पर लगे स्वच्छकारों को चिन्हित कर पुनर्वासन हेतु विभिन्न स्तरों पर सघन अनुश्रवण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम,2013" में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में राज्य / जनपद / ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नवत् व्यवस्था की जाती हैः–

राज्य स्तरः

राज्य स्तर पर उपनिदेशक(पं0) / नोडल अधिकारी, निर्मल भारत अभियान पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका उत्तरदायित्व निम्नवत् होगाः–

(i)-राज्य स्तर पर समय–समय पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग करना तथा अद्यतन स्थिति से शासन के उच्च स्तरों एवं संबंधित विभागों को अवगत कराना।

(ii)-राज्य स्तर से जनपदों की ग्राम पंचायतों में चिन्हित किये गये स्वच्छकारों एवं शुष्क शौचालयों के अद्यतन स्थिति का अनुश्रवण तथा निर्देश निर्गत करना।

(iii)-चिन्हित स्वच्छकारों को परिचय पत्र तथा शपथ–पत्र जारी कराने की कार्यवाही करना तथा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना।

(iv)-चिन्हित स्वच्छकारों के बैंक खातों का विवरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु जनपदों का अनुश्रवण।

(v)-उक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जनपद स्तरः

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका उत्तरदायित्व निम्नवत् होगाः–

(i)-जनपद की ग्राम पंचायतों में चिन्हित किये गये स्वच्छकारों एवं शुष्क शौचालयों के अद्यतन स्थिति का अनुश्रवण तथा निर्देश निर्गत करना।

(ii)-चिन्हित स्वच्छकारों को परिचय पत्र तथा शपथ–पत्र जारी कराने की कार्यवाही हेतु अनुश्रवण एवं आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना।

(iii)-चिन्हित स्वच्छकारों के बैंक खातें का विवरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु अनुश्रवण एवं आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना।

(iv)-उक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

ग्राम पंचायत स्तरः

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी, जो कोई भी ग्राम पंचायत का सचिव हो, को सफाई इन्स्पेक्टर के दायित्व हेतु अधिकृत किया जाता है, जिनका उत्तरदायित्व निम्नवत् होगाः–

(i)-ग्राम पंचायतों में कार्यरत स्वच्छकारों के चिन्हीकरण, उनके परिचय पत्र एवं बैंक खातों का विवरण तैयार कर जनपद को उपलब्ध कराना।

(ii)-चिन्हित Insanitary Latrines को निर्मल भारत अभियान योजना अन्तर्गत जलप्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करना।

(iii)-चिन्हित स्वच्छकारों के पुनर्वासन हेतु उनकी सूची जनपद के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जाना।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1476(1)/33–3–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
3– निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,उ0प्र0,लखनऊ।
5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
6– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।